महाराष्ट्र राज्य

बनाम

दत्तात्रेय दिगंबर बीराजादर

27 अगस्त, 2007

डॉ, अरिजीत पासायत और डी.के. जैन, जे.जे.

औघोगिक विवाद अधिनियम, 1947-धारा 10- पिछली मजदूरी के साथ पुनर्नियुक्ति-

दावा-दिहाड़ी मजदूर द्वारा दूसरे विभाग में शामिल होने के लिए प्रतिष्ठान के रोजगार को छोड़ा गया और उसके बाद विभाग ने नौकरी से निकाल दिया-पहले प्रतिष्ठान के साथ सेवा की निरंतरता का दावा-अभिनिर्वरितः इस संबंध में पर्याप्त सामग्री और सबूत थे कि दावेदार पहले प्रतिष्ठान के रोजगार में नही था और स्वेच्छा से दूसरे विभाग में शामिल होने के लिए चला गया था-इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा दावा मंजूर करना उचित नहंी था और यह साबित करने के लिए कि दावेदार ने 240 दिनों से अधिक समय तक काम किया, उस भार को नियोक्ता पर रखने में गलती की-साथ ही, उठाया गया दावा पुराना था-इसलिए, अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश को अपास्त कर दिया गया।

प्रत्यर्थी 1984 से लोक निर्माण विभाग अपीलार्थी के प्रतिष्ठान में दिहाड़ी मजदूर के रूप मे काम कर रहा था। 10.03.1986 को, सर्वेक्षक के 52 अनुबंध रोजगार पद मृदा संरक्षण विभाग में सृजित किये गये। दिनांक 18.03.1986 के आदेश से प्रत्यर्थी को मृदा संरक्षण विभाग में सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था और उसने 04.03.1986 से कार्यभार ग्रहण करना था। इसके बाद उसे दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया। इसके बाद सर्वेक्षक के 52 अस्थायी पदो को समाप्त कर दिया गया और प्रत्यर्थी को विभाग से बर्खास्त कर दिया गया।

प्रत्यर्थी ने पीडब्ल्यूडी के विरूद्ध पिछले वेतन के साथ सेवा की निरंतरता की मांग करते हुए औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 की धारा 10 के तहत आवेदन दायर किया।

यह तर्क प्रस्तुत किया कि जब उसे मौखिक रूप से बर्खास्त कर दिया गया तब वह 30.04.1986 तक पीडब्ल्यूडी में काम कर रहा था। श्रम न्यायालय ने एक निर्णय पारित करते हुए कहा कि 30.04.1986 से प्रत्यर्थी की समाप्ति अवैध थी और उसे 25 प्रतिशत वेतन के साथ बहाल किया जाना था।

उच्च न्यायालय ने इस आदेश को बरकरार रखा। इसलिए वर्तमान अपील प्रस्तुत हुई।

अपील को अनुमति देते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारितः यह स्पष्ट है कि इस रूख को सही ठहराने के लिए श्रम न्यायालय के समक्ष पर्याप्त सामग्री व साक्ष्य रखे गये थे कि 03.04.1986 से प्रत्यर्थी अपीलार्थी की सेवा में नही था। उसने खुद स्वेच्छा से दूसरे विभाग में शामिल होने के लिए विभाग छोड़ दिया। किसी भी हाल में, दावा पुराना था और चुनौतीधीन आदेश के लगभग 8 साल बाद दायर किया गया था।

श्रम न्यायायल और उच्च न्यायालय ने गलत अभिनिर्धारित किया कि 240 दिनों का कार्य साबित करने का बोझ नियोक्ता पर होता है। इस प्रकार न्यायाधिकरण के आदेश और उच्च न्यायालय के द्वारा बरकरार श्रम न्यायालय द्वारा दिये गये पंचाट को बरकरार नहीं रखा जा सकता और उन्हे अपास्त किया जाता है। (पेरा 6 और 7) (507-बी.सी.डी)

रेंज वन अधिकारी बनाम एस.टी.हदीमानी (2002) 3 एस.सी.सी.25, पर भरोसा किया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार 2006 की सिविल अपील सं. 1000

रिट याचिका संख्या 444/2004 में बॉम्बे उच्च न्यायालय पीठ, औरंगाबाद के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 15.03.2004 से।

अपीलार्थी के लिए रवींद्र केशवराय अदसरे।

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजीत पासायत, जे. द्वारा किया गया था।

1. इस अपील में औरंगाबाद में बॉम्बे उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई है। दायर रिट याचिका खारिज कर दी गई। रिट याचिका में श्रम न्यायालय, औरंगाबाद द्वारा पारित किये गये पंचाट को चुनौती को दी गई थी।

2. अपीलार्थी द्वारा पेश पृष्ठभूमि तथ्य इस प्रकार हैः-

प्रत्यर्थी मुकदम के रूप में दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम कर रहा था और उसे 30 रूपये प्रतिदिन का भुगतान अगस्त 1984 से लोक निर्माण विभाग उस्मानाबाद, जिला महाराष्ट्र द्वारा किया जाता था। 10.03.1986 को अनुबंध रोजगार पर सर्वेक्षक के 52 पदों का सृजन जिला श्रम आयुक्त औरगांबाद ने किया।

प्रत्यर्थी संभागीय मृदा संरक्षण कार्यालय में सर्वेक्षक के रूप में प्रति माह 450/- रूपयें के समेकित वेतन पर 03.04.1986 से शामिल हुआ। दिनांक 25.09.1986 को उप-मंडल मृदा संरक्षण अधिकारी ने प्रत्यर्थी को परांडा 06.10.1986 से उप-मंडल कार्यालय मृदा संरक्षण अधिकारी औरंगाबाद में स्थानांतरित कर दिया।

05.08.1987 को संभागीय मृदा संरक्षण अधिकारी ने विभिन्न स्थलों पर सर्वेक्षक के सभी 52 पदों को समाप्त कर दिया क्योंकि वे अस्थायी प्रकृति के थे।

तदनुसार, सर्वेक्षक के रूप में प्रत्यर्थी की सेवा 20.08.1987 को समाप्त कर दी गई। इसके आठ वर्ष बाद प्रत्यर्थी ने औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 10 (संक्षेप में अधिनियम) में एक प्रार्थना पत्र उद्धरण के लिए श्रम उपायुक्त, औरंगाबाद को पेश किया। यह कहा गया था कि प्रत्यर्थी 30.04.1986 तक लोक निर्माण विभाग, औरंगाबाद में काम कर रहा था।

जब उसे मौखिक रूप से बर्खास्त कर दिया गया था। मजदूरी के साथ सेवा की निरंतरता के लिए प्रार्थना की गई थी। श्रम उपायुक्त ने अधिनियम की धारा 10 (1) और 12 (5) के तहत निर्णय के लिए श्रम न्यायालय, सोलापुर को उद्वरण दिया। लोक निर्माण विभाग ने श्रम न्यायालय से नोटिस मिलने पर उप-मंडल मृदा, संरक्षण अधिकारी के कार्यालय से सेवा विवरणों के बारे में पूछताछ की। उप-मंडल मृदा सरंक्षण अधिकारी, उस्मानाबद ने उप-मंडल अभियंता को दिनांक 09.03.1995 के पत्र द्वारा सूचित किया कि 18.03.1986 के आदेश द्वारा प्रत्यर्थी को संविदात्मक रोजगार पर सर्वेक्षणकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया था,

और 25.09.1986 को उसे उप-मंडल मृदा संरक्षण अधिकारी पराड़ा में स्थानांतरित कर दिया गया था।

औरंगाबाद आयुक्त के आदेश के अनुसार, अस्थायी सर्वेक्षणकर्ता की नियुक्तियां समाप्त कर दी गई। प्रत्यर्थी ने अपने दावे के समर्थन में खुद की साक्ष्य पेश की और 3 दस्तावेज प्रदर्शित करवाये। दस्तावेजों में से एक ने कथित रूप से संकेत दिया कि प्रत्यर्थी ने 31 अगस्त, 1986 तक डिवीजन में काम किया। उप-मंडल मृदा संरक्षण कार्यालय, औरगाबाद के एक अधिकारी को अपीलार्थी के मामले के समर्थन में परीक्षित करवाया गया।

श्रम न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ एक पंचाट पारित किया, जिसमे कहा गया कि (1) 30.04.1986 से प्रत्यर्थी की सेवा समाप्ति अवैध थी और (2) उस पिछले वेतन यानी पिछले वेतन के 25 प्रतिशत के साथ बहाल किया जाना था।

उपरोक्त आदेश को चुनौती देते हुए, बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की गई थी जिसे विवादित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था।

3. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने तर्क प्रस्तुत किया कि श्रम न्यायालय और उच्च न्यायालय का रवैया स्पष्ट रूप से गलत है। जो दस्तावेज प्रदर्श सी-25-सी 27 प्रस्तुत किये गये उनका यह स्पष्ट प्रभाव है

जो मृदा संरक्षण विभाग में प्रत्यर्थी की नियुक्ति को स्थापित करते है, उसके स्थानांतरण और अंतिम समाप्ती को श्रम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा हल्के में खारिज कर दिया गया है। प्रत्यर्थी ने स्वयं स्वीकार किया कि मृदा संरक्षण अधिकारी द्वारा दिनांकित 09.03.1995 के पत्र में विवरण दिया गया था। श्रम न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहूंचा है कि प्रत्यर्थी ने 240 दिनों से अधिक समय तक काम किया था।

4. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने आगे कहा कि प्रत्यर्थी द्वारा स्वैच्छिक रूप से दूसरे विभाग में शामिल होने के कारण प्रत्यर्थी की बर्खास्ती का कोई प्रश्न ही नही था। उनके अनुसार, दस्तावेजों ने स्पष्ट रूप से स्थापित किया कि वह किसी अन्य प्रतिष्ठान में शामिल हुआ था। इसलिए, दावा पुराना था और आठ साल से अधिक समय के बाद किया गया थां श्रम न्यायालय और उच्च न्यायालय ने यह गलत अभिनिर्धारित किया कि यह प्रश्न कि क्या श्रमिक ने 240 दिनों से अधिक समय तक काम किया था या नहीं, नियोक्ता द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए।

5. प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थिति नहीं है।

6. यह ध्यान देने योग्य है कि जवाब दावा में यह स्पष्ट रूप से वर्तमान अपीलार्थी द्वारा कहा गया है कि प्रत्यर्थी ने किसी अन्य विभाग में शामिल होने के लिए अपीलार्थी के प्रतिष्ठान का रोजगार छोड़ दिया था और अंततः उसे उक्त विभाग से बर्खास्त कर दिया गया था। प्रदर्श सी-25

दिनांकित 10.03.1986 से पता चलता है कि प्रत्यर्थी को नियुक्त किया गया था और उसे 03.04.1986 से कार्यभार गृहण करने की आवश्यकता थी। प्रदर्श सी-27 प्रत्यर्थी का दिनांकित 25.09.1986 आदेश द्वारा स्थानांतरण आदेश है और दिनांकित 09.03.1995 का पत्र स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि प्रत्यर्थी ने परांडा में उस स्थान पर कार्यभार गृहण किया था जहां उसे स्थानांतरित किया गया था। यह स्पष्ट है कि श्रम न्यायालय के समक्ष इस स्थिति को उचित ठहराने के लिए 03.04.1986 को प्रत्यर्थी अपीलार्थी के नियोजन में नही था, पर्यापत सामग्री और साक्ष्य रखे गये थे। उसने खुद स्वेच्छा से दुसरे विभाग में शामिल होने के लिए विभाग छोड़ दिया था। किसी भी हाल में दावा पुराना था और बर्खास्तगी के कथित आदेश के लगभग आठ साल बाद दायर किया गया था। श्रम न्यायालय और उच्च न्यायालय ने गलत अभिनिर्धारित किया कि 240 दिनों की नियुक्ति को साबित करने का भार नियोक्ता पर है। यह दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से उस बात के विपरीत है जो इस न्यायालय द्वारा रंेज वन अधिकारी बनाम एस.टी. हदीमानी (2002) 3 एस.सी. सी. 25 में निर्दिष्ट किया गया है।

7. न्यायाधिकरण के आदेश और पंचाट को किसी भी दृष्टिकोण से देखा जावे तो श्रम न्यायालय द्वारा, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है, कायम नहीं रखा जा सकता है और अपास्त किया जाता है।

8. अपील बिना खर्चे के आदेश के स्वीकार की जाती है। अपील स्वीकार की गई। एन.जे.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी पलविन्दर सिंह (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।